कार्यालय जिलाधिकारी, फतेहपुर।

पत्रांक : 486-18 /मु0चि0अ0/रा0त0नि0प्रको0/2018-19/दिनांक 26-5-2018

समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
जनपद-फतेहपुर।

विषय : राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोटपा अधिनियम-2003 के अनुपालन एवं तम्बाकू मुक्त परिसर बनाने हेतु दिशा निर्देश के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में आप अवगत हैं कि आपके जनपद में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत कोटपा अधिनियम-2003 को जनपद फतेहपुर में कड़ाई से लागू किया जा रहा है। (World Health Organization) द्वारा प्रदत्त किया जाता है कि दिनांक 31 मई, 2018 को प्रदत्तथीम "Tobacco Breaks Hearts" विषय पर विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जायेगा। अतः आप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करें कि अपने विभाग में पूर्ण सिगरेट व तम्बाकू के सेवन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध करें तथा अपने कार्यालय की बाहर "धूम्रपान निषेध क्षेत्र, यहां धूम्रपान करना दण्डनीय अपराध है", का लिखा हुआ 60 x 30 सेमी0 का साइनेज लगवाना अनिवार्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने विभाग की उपरोक्त की सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर को भेजवाना सुनिश्चित करें तथा समस्त कार्यालयों को 31 मई, 2018 तक तम्बाकू मुक्त कार्यालय घोषित कर घोषणा पत्र 5 दिवसों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-घोषणा-पत्र।

(कुमार प्रशान्त)
जिलाधिकारी,
फतेहपुर।

पत्रांक : /7-पं0/एस0बी0एम0(जी0)/2017-18/दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मण्डलायुक्त महोदय, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, फतेहपुर।
5. निदेशक, उ0प्र0 वॉलन्टरी हेल्थ, एसोसिएशन गोमती नगर लखनऊ के पत्र संख्या-4/202/ 2018-4/लूज/2017 लखनऊ दिनांक 11 अप्रैल, 2016 के क्रम में सूचनार्थ।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर।
7. राज्य सलाहकार, राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उ0प्र0 लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी, तम्बाकू नियत्रण फतेहपुर।
9. समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को पालनार्थ।

जिलाधिकारी,
फतेहपुर।